

प्रेस विज्ञप्ति

जिलाधिकारी सुलतानपुर ने अवगत कराया कि जनपद में निम्नलिखित दुकानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित मात्रा में डीएपी की खाद उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा यह निर्देश दे दिये गये हैं कि यदि डीएपी खाद की कालाबाजारी या अधिक मूल्य लेने की शिकायत प्रकाश में आई तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

आईएफएफडीसी परतोप	15	आईएफएफडीसी संरतेजपुर	15
पीसीएफ गेटुआ	75	आईएफएफडीसी जगा	15
		आईएफएफडीसी बिजेथुआ	15
आईएफएफडीसी बधौना	15	आईएफएफडीसी तवनकलपुर नगर	15
आईएफएफडीसी बहुएवां		पीसीएफ कोथरा कला	15
पीसीएफ अखण्डनगर	50	महाराणी पश्चिम	15
पीसीएफ देव नगर	50	पीसीएफ कटका खानपुर	75
आईएफएफडीसी वखशपुर	15	आईएफएफडीसी कूरमार	15
आईएफएफडीसी शंकरगढ	15	पीसीएफ पयागीपुर	30
पीसीएफ दोस्तपुर	07	आईएफएफडीसी धम्मौर	15
रतनपुर समिति	60	सध साहबगंज	15
आईएफएफडीसी मऊ	15	आईएफएफडीसी गुराफिरखाना	15
आईएफएफडीसी रामपुर	15	आईएफएफडीसी दुगापुर	15
हनुमानगंज			
आईएफएफडीसी कामतागंज	15	आईएफएफडीसी रामगंज	15
सध जगदीशपुर	30	आईएफएफडीसी नरबहनपुर	15
पीसीएफ जगदीशपुर	15	पीसीएफ अलीगंज	15
आईएफएफडीसी मुवारकपुर	30	सध कुडवार	15
आईएफएफडीसी पीढी चौराहा	15	आईएफएफडीसी शम्भूगंज	15
सध पारसगढटी	15	आईएफएफडीसी हरखूवाक	15
आईएफएफडीसी मोतिगरपुर	15	आईएफएफडीसी कनकसिंहपुर	15
		रामशाहपुर	15
यूपी एओ	100	आरक्षित	60

जिला सूचना कार्यालय
निःशुल्क प्रकाशनार्थ

31.10.07